कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/गुण. तथा प्रशि. अनु./MSRA/61186/2024–25/पार्ट–1 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषय :– कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु "मौखिक पठन प्रवाह" (ORF- Oral Reading Fluency) समग्र आकलन (Endline) के संबंध में निर्देश।

प्रसंग :– कार्यालय हाजा समसंख्यक पत्र दिनांक : 01.09.2025 (राजकाज रेफ नं. 17505230) एवं दिनांक : 12.08.2025 (राजकाज रेफ नं. 17505230)।

उपर्युक्त विषयांर्तगत राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने और इसके उद्देश्यों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांकः 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए वाधवानी एआई फाउंडेशन के सहयोग से विद्यार्थियों की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों की पठन दक्षता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षा 3 से 8 के लगभग 35 लाख विद्यार्थियों का हिन्दी विषय में ओरल रीडिंग फ्लूएंसी (ORF) बेसलाइन आकलन शालादर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से किया गया था तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों को C1-C4 समूहों में विभाजित कर, प्रथम एवं द्वितीय कालांश को Reading Remediation हेतु निर्धारित कर 100–दिवसीय पठन पुनर्सुधार कार्यक्रम– "प्रखर–2.0" का क्रियान्वयन किया गया।

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि cohortization एवं Remediation के फलस्वरूप हुई विद्यार्थियों की पठन प्रगति के आकलन के उद्देश्य से **दिनांक : 19.01.2026 से 23.01.2026** के मध्य, विद्यालय समय में प्रथम दो प्रखर कालांशों में हिंदी विषय के ORF का समग्र आकलन (Endline) शालादर्पण शिक्षक ऐप के ओआरएफ मॉड्यूल के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें। शिक्षकों को ORF मूल्यांकन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु निम्नांकित वीडियों लिंक्स का उपयोग किया जा सकता है–

- ORF डेमोवीडियो : https://bit.ly/Demovideo_ORF
- उपयोगकर्ता मार्गदर्शन : https://bit.ly/UserManual_ORFxShikshakApp
- ORF मुख्य बिन्दु : https://bit.ly/ORF_main_points

विद्यार्थियों की वास्तविक मौखिक पठन प्रवाह क्षमता के डेटा की गुणवत्ता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा बेसलाइन एवं समग्र आकलन परिणामों की सही तुलना के लिए यह अनिवार्य है कि :

1. प्रत्येक चयनित विद्यार्थी स्वयं पाठ पढ़े। आकलन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्थिति में शिक्षक या अन्य विद्यार्थी द्वारा सहायता देना, संकेत करना अथवा शब्द बताना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे पठन के वास्तविक परिणाम प्रभावित होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.01.09 21:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19830510

2. आकलन केवल उन्हीं विद्यार्थियों का किया जाए जो उस दिन विद्यालय में उपस्थित हों। अनुपस्थित विद्यार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से पठन न कराया जाए।
3. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐप में जिस विद्यार्थी का नाम चयनित किया गया है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ उसी विद्यार्थी की हो। किसी अन्य विद्यार्थी की आवाज़ रिकॉर्ड होने की स्थिति में संबंधित आकलन डेटा अमान्य माना जाएगा।
4. आकलन प्रक्रिया के दौरान शिक्षक या अन्य विद्यार्थियों द्वारा गलती सुधारना, पढ़ने में हस्तक्षेप करना या किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन देना पूर्णतः वर्जित है।

नोटः— इस हेतु आवश्यक सब्जेक्ट टीचर मैंपिग को दिनांकः 16 जनवरी 2026 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आकलन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित की जा सके। ओआरएफ आकलन से पूर्व कक्षा की सब्जेक्ट टीचर मैंपिग अनिवार्य रूप से करवा ली जाये अन्यथा स्थिति में ओआरएफ मॉड्यूल उपयोग नहीं किया जा सकेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पीईईओं/यूसीईईओं की होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर (जरिये ई—मेल)।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर (जरिये ई—मेल)।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर (जरिये ई—मेल)।
4. निजी सचिव/निजी सहायक/स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई—मेल)
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर (जरिये ई—मेल)।
6. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना एवं ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय लॉगिन पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने तथा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें (जरिये ई—मेल)।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। (जरिये ई—मेल)
8. मेनेजर, गुरूनानक भवन संस्थान, जयपुर (जरिये ई—मेल)।
9. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
10. समस्त संस्थाप्रधान।
11. मुख्य पदाधिकारी एवं सीएफओ, वाधवानी एआई लार्ड्स एज्यूकेशन एण्ड हैल्थ सोसायटी 70, रिंग रोड़, 2 Floor,लाजपत नगर नई दिल्ली 110024 के संबंधन आवश्यक कार्य करने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.01.09 21:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19830510

12. प्रोग्राम लीड तथा पीएमयू फेलो समस्त जिले।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.01.09 21:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19830510